माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 31 /08 /प्रशा0/ MSU / 2024–25 दिनांक : 20/09/2024

सेवा में,

01. प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

02. समन्वयक शैक्षणिक
विश्वविद्यालय परिसर

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय / अनुदानित शिक्षण संस्थानों में संचालित नियमित व स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–2243 / सत्तर–3–2024, दिनांक : 19 सितम्बर, 2024 के साथ संलग्न समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2499 / 26–3–2024–1823217, दिनांक : 06 सितम्बर, 2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय, अनुदानित महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली–2023 जारी की गई है। नियमावली के नियम–12 में निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संलग्न पत्र में उल्लिखित दिशा–निर्देश के क्रम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली–2023 का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
02. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
03. परीक्षा नियंत्रक।
04. प्रवेश समन्वयक।
05. छात्रवृत्ति समन्वयक।
06. उपकुलसचिव।
07. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव

महत्वपूर्ण
संख्या–2243 /सत्तर–3–2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 19 सितम्बर, 2024

विषयः वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्य विश्वविद्यालय, राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में संचालित नियमित व स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में फीशिप कार्ड की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समाज कल्याण अनुभाग–3 के पत्र संख्या–2499/26–3–2024–1823217, दिनांक 06.09.224 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– समाज कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराना है कि समाज कल्याण अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27–09–2023 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली–2023 जारी की गयी है। नियमावली के नियम–12 में निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है।

(क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई–के०वाई०सी०) एवं ओ०टी०पी० से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइनल सबमिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। ऑनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) फ्रीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पेंडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिस्पांस पेंडिंग होने व पी०एफ०एम0एस0 के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड/एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

3– चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल 01 जुलाई से खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल से प्रारम्भ होगी। छात्र द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन आवेदन के अन्तर्गत छात्र द्वारा जनपद का नाम, शिक्षण सस्था का नाम, वर्ग/जाति, हाईस्कूल बोर्ड, हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निःशुल्क प्रवेश हुआ है अथवा नहीं, ड्राप डाऊन में खुलेंगे। इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा अपना नाम, जन्म तिथि, हाईस्कूल अनुक्रमांक, मोबाइल नम्बर, ई–मेल आई०डी० व स्वनिर्मित पासवर्ड स्वयं भरा जायेगा।

4– रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्र द्वारा राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान एवं अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति का चयन किये जाने पर फ्रीशिप कार्ड जनरेशन हेतु नया फेज खुलेगा। छात्र को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भी आवंटित होगा।

5– फ्रीशिप कार्ड के फार्म में छात्र द्वारा आय प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र के नम्बर भरने पर ई–डिस्ट्रिक्ट की साईट से स्वतः आनलाइन वेरीफिकेशन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्र का नाम एवं जन्म तिथि पर डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन भी होगा। तदोपरान्त फ्रीशिप कार्ड पोर्टल से डाऊनलोड किया जा सकता है। छात्र अथवा छात्रा का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण–पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराया जाना होगा और वही नाम रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।

6– छात्र द्वारा उक्त फ्रीशिप कार्ड को एप्लीकेशन के साथ सम्बन्धित राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में प्राप्त कराया जाना होगा। सम्बन्धित राजकीय शिक्षण संस्थान/अनुदानित शिक्षण संस्थान अथवा राजकीय विश्वविद्यालय उक्त पात्र छात्रों के फ्रीशिप कार्ड को प्राप्त करेंगे तथा उसकी रसीद छात्रों को हस्तगत करायेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय छात्रों से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि नहीं लेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के लिए उक्त कार्यवाही बाध्यकारी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय संस्थानों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय

(शिप्रा गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि उप सचिव, समाज कल्याण अनुभाग–3 के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

कार्यालय निदेशक(उ0शि0) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, प्रयागराज

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री विकास/ 1085 – 87 / 2024-25 दिनांक- 19 / 09 / 2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन का उक्त पत्र संख्या-2243/सत्तर-3-2024 दिनांक- 19 सितम्बर, 2024 अवलोकन करते हुए कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

1- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- प्राचार्य/ प्राचार्या, समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

19/9/24

डॉ0(अजीत कुमार सिंह)
सहायक निदेशक (उ0शि0)
कृते-शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उ0प्र0, प्रयागराज।

16-3099/305/2024-समाज कल्याण अनुभाग-3-Social Welfare Department

उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-3
संख्या-2499/26-3-2024-1823217
लखनऊ दिनांक: 06 सितम्बर, 2024

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा,
चिकित्सा शिक्षा एवं कृषि शिक्षा विभाग,
उ०प्र० शासन।

संख्या 2244 / VIP PSHED/2024

कृपया निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1727/स0क0/शिक्षा-अ/4/159-2/2024-25 दिनांक 16.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में राज्य/ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में संचालित नियमित व स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है :-

(1) राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था कड़ाई से लागू किये जाने के लिए शासन के समस्त शिक्षा विभागों के स्तर से समस्त राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी को निर्देशित किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित शिक्षा विभाग यथा-माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि से अनुरोध किया जाना।

(2) समस्त जिलाधिकारियों, समस्त मण्डलीय उप निदेशकों तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया जाना।

2- एवं उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-1834/26-3-2024/C.No-1823217 दिनांक 26.06.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में क्रियान्वयन का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु समस्त मण्डलीय संयुक्त/ उप निदेशक, समाज कल्याण तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

3- अवगत कराना है कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-09-2023 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली-2023 जारी की गयी है। नियमावली के नियम-12 में निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :-

(क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई-के०वाई०सी०) एवं ओ०टी०पी० से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइनल सब्मिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा । निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी ।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(ख) फ्रीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/ पेंडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिस्पांस पेंडिंग होने व पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/ संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कापी संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड / एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

4- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल 01 जुलाई से खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल से प्रारम्भ होगी। छात्र द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रारूप में 12 बिन्दु निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन आवेदन के अन्तर्गत छात्र द्वारा जनपद का नाम, शिक्षण संस्था का नाम, वर्ग/ जाति, हाईस्कूल बोर्ड, हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निःशुल्क प्रवेश हुआ है अथवा नहीं, ड्राप डाऊन में खुलेंगे। इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा अपना नाम, जन्म तिथि, हाईस्कूल अनुक्रमांक, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0 व स्वनिर्मित पासवर्ड स्वयं भरा जायेगा।

5- रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्र द्वारा राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का चयन किये जाने पर फ्रीशिप कार्ड जनरेशन हेतु नया पेज खुलेगा। छात्र को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भी आवंटित होगा।

6- फ्रीशिप कार्ड के फार्म में छात्र द्वारा आय प्रमाण-पत्र व जाति प्रमाण-पत्र के नम्बर भरने पर ई-डिस्ट्रिक्ट की साईट से स्वतः आनलाइन वेरीफिकेशन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्र का नाम एवं जन्म तिथि पर डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन भी होगा। तदोपरान्त फ्रीशिप कार्ड पोर्टल से डाऊनलोड किया जा सकता है। छात्र अथवा छात्रा का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराया जाना होगा और वही नाम रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।

7- छात्र द्वारा उक्त फ्रीशिप कार्ड को एप्लीकेशन के साथ सम्बन्धित राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में प्राप्त कराया जाना होगा। सम्बन्धित राजकीय शिक्षण संस्थान / अनुदानित शिक्षण संस्थान अथवा राजकीय विश्वविद्यालय उक्त पात्र छात्रों के फ्रीशिप कार्ड को प्राप्त करेंगे तथा उसकी रसीद छात्रों को हस्तगत करायेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय छात्रों से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि नहीं लेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के लिए उक्त कार्यवाही बाध्यकारी है।

8- उपरोक्त कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध राजकीय एवं अनुदानित संस्थान व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्धता प्राप्त समस्त राजकीय एवं अनुदानित संस्थान के नोडल आफीसर की एक बैठक यथाशीघ्र करायी जानी है।

9- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by
Rajani Kant Pandey (रजनी कान्त पाण्डेय)
Date: 06-09-2024 14:13:19 उप सचिव।

पृ०संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, समाज कल्याण विभाग।
2- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
3- समस्त मण्डलीय उप निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव।

प्रेषक,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन,
समाज कल्याण अनुभाग–3

संख्या– 1727 /स0क0/शिक्षा–अ/4/159–2/2024–25

लखनऊः दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषय–वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रांक–1834/26–3–2024/C.No.-1823217 दिनांक 26–08–2024 द्वारा संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली–2023 के नियम–12 में निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के कियान्वयन का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दिये गये हैं।

भारत सरकार तथा विभिन्न शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन के अधीन संचालित राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों के स्तर पर उक्त नियम का पालन न होने के कारण राज्य सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मा0 मंत्री जी एवं शासन द्वारा उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः शासन से अनुरोध है कि कृपया राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में संचालित नियमित व स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों में फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन किये जाने हेतु शासन स्तर पर निम्नानुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें :–

1– राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में फ्रीशिप कार्ड की व्यवस्था कड़ाई से लागू किये जाने के लिए शासन के समस्त शिक्षा विभागों के स्तर से समस्त राज्य/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी को निर्देशित किये जाने हेतु अपने स्तर से सम्बन्धित शिक्षा विभाग यथा– माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा आदि से अनुरोध करने का कष्ट करें।

2– शासन स्तर से समस्त जिलाधिकारियों, समस्त मण्डलीय उप निदेशकों तथा समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(कुमार प्रशान्त)
निदेशक

संख्या-1834/26-3-2024 /C.No:-1823217

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक,
उ0प्र0, समाज कल्याण।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 26 जून, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-927/स0क0/शिक्षा-अ/4/159-2/2024-25 दिनांक 20.06.2024 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने हेतु समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण एवं समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-09-2023 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली-2023 जारी की गयी है। नियमावली के नियम-12 में निःशुल्क प्रवेश एवं फ्रीशिप कार्ड के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है :-

(क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई-के०वाई०सी०) एवं ओ०टी०पी० से सत्यापन के उपरांत आवेदन को फाइनल सब्मिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अग्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अर्ह हो जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) फ्रीशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पेंडिंग होने, पी०एफ०एम०एस० स्तर पर रिस्पांस पेंडिंग होने व पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/ संस्थान द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र

(हार्ड कापी संलग्नकों सहित) जनपद स्तरीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अथवा किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण / संदिग्ध विवरण भरने पर उक्त निःशुल्क प्रवेश की अनुमन्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(ग) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निःशुल्क प्रवेश हेतु फ्रीशिप कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड / एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी !

(घ) संस्थान में छात्र को निःशुल्क प्रवेश मिलने के पश्चात छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का पोर्टल 01 जुलाई से खोले जाने हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। 01 जुलाई से छात्रों के स्तर से रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल से प्रारम्भ होगी। छात्र द्वारा संलग्न प्रारूप के अनुसार पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस प्रारूप में 12 बिन्दु निर्धारित हैं। रजिस्ट्रेशन आवेदन के अन्तर्गत छात्र द्वारा जनपद का नाम, शिक्षण संस्था का नाम, वर्ग/ जाति, हाईस्कूल बोर्ड, हाईस्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष तथा निःशुल्क प्रवेश हुआ है अथवा नहीं, ड्राप डाऊन में खुलेंगे। इसके अतिरिक्त छात्र द्वारा अपना नाम, जन्म तिथि, हाईस्कूल अनुक्रमांक, मोबाइल नम्बर, ई-मेल आई0डी0 व स्वनिर्मित पासवर्ड स्वयं भरा जायेगा।

4- रजिस्ट्रेशन फार्म में छात्र द्वारा राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का चयन किये जाने पर फ्रीशिप कार्ड जनरेशन हेतु नया पेज खुलेगा। छात्र को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर भी आवंटित होगा।

5- फ्रीशिप कार्ड के फार्म में छात्र द्वारा आय प्रमाण-पत्र व जाति प्रमाण-पत्र के नम्बर भरने पर ई-डिस्ट्रिक्ट की साईट से स्वतः आनलाइन वेरीफिकेशन हो जायेगा। इसके अतिरिक्त छात्र का नाम एवं जन्म तिथि पर डेमोग्रेफिक आथेन्टिकेशन भी होगा। तदोपरान्त फ्रीशिप कार्ड पोर्टल से डाऊनलोड किया जा सकता है। छात्र अथवा छात्रा का जो नाम हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित है, उसी नाम से आधार कार्ड अपडेट कराया जाना होगा और वही नाम रजिस्ट्रेशन फार्म में भरना अनिवार्य होगा।

6- छात्र द्वारा उक्त फ्रीशिप कार्ड को एप्लीकेशन के साथ सम्बन्धित राजकीय अथवा अनुदानित शिक्षण संस्थान, जिसमें उसने प्रवेश लिया है, में प्राप्त कराया जाना होगा। सम्बन्धित राजकीय शिक्षण संस्थान / अनुदानित शिक्षण संस्थान अथवा राजकीय विश्वविद्यालय उक्त पात्र छात्रों के फ्रीशिप कार्ड को प्राप्त करेंगे तथा उसकी रसीद छात्रों को हस्तगत करायेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थान / विश्वविद्यालय छात्रों से शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आदि नहीं लेंगे। सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के लिए उक्त कार्यवाही बाध्यकारी है।

7- उपरोक्त कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के सभी केन्द्रीय / राज्य विश्वविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्धत राजकीय एवं अनुदानित संस्थान व एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्धता प्राप्त समस्त राजकीय एवं अनुदानित संस्थान के नोडल आफीसर की एक बैठक प्रत्येक दशा में दिनांक 01 जुलाई, 2024 से पूर्व अवश्य करायी जानी है।

8- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय व अनुदानित शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को राज्य सरकार द्वारा निर्गत फ्रीशिप कार्ड के आधार पर निःशुल्क प्रवेश के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

पृ0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि - प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।